

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का० पदा०)-15/2025 ^{२९१५} न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-18/07/25

श्रीमती सीमा कुमारी (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर के अवकाश अवधि (दिनांक-08.07.2025 से 11.12.2025 तक कुल 158 दिनों का मातृत्व अवकाश) में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अंतर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोषी को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का० पदा०)-15/2025

^{२९१५}

/न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-

18/07/25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ श्रीमती सीमा कुमारी (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/07/25

सरकार के अवर सचिव।